Ex.P-283

कथन – बाबूलाल अग्रवाल

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	–	09 / 2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	बाबूलाल अग्रवाल पिता श्री बनारसी लाल अग्रवाल
उम्र	–	52 वर्ष
पता	–	रायपुर रोड, वार्ड नं. 11, सारंगढ़ जिला रायगढ़ (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	93006–60651
व्यवसाय	–	संचालक, श्री राम राईस मिल, जुनाडीह बिलासपुर रोड़ सारंगढ़ जिला रायगढ़ (छ0ग0)

—00—

मैं बाबूलाल अग्रवाल पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं श्री राम राईस मिल, जुनाडीह, सारंगढ़ का संचालक हूं। मेरी राईस मिल की क्षमता 05 टन धान प्रति घंटे की है। मेरा मार्कफेड से वर्ष 2014–15 में 40 हजार क्विंटल धान का अनुबंध है, पिछले वर्ष 2013–14 में 70 हजार क्विंटल धान के कस्टम मिलिंग का अनुबंध था। सारगंढ़ में क्वालिटी इंस्पेक्टर महेन्द्र शर्मा है तथा जिला प्रबंधक श्री देवांगन है। मुझे वर्ष 2013–14 को 06 लॉट चावल देना बाकि है। इस वर्ष 2014–15 का अनुबंध हो चुका है अभी चावल देना शुरू नहीं किया हूं। सारंगढ़ में 22 राईस मिल है तथा 7–8 एस.डब्ल्यू.सी के गोदाम है, जिनकी क्षमता 01 लाख टन है। इस वर्ष मैंने अभी अनुबंध के अनुसार चावल जमा करना शुरू नहीं किया है। सारंगढ़ के मैं एवं सभी राईस मिलर्स नागरिक आपूर्ति निगम को 08रू. प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा कलेक्शन करके देते है। इसके कारण हमें गोदामों में स्पेश मिलने में, क्वालिटी में समझौता एवं जल्दी माल लोडिंग–अनलोडिंग करना इसी प्रकार की सुविधा प्रदान करते है। जो राईस मिलर सिस्टम के अनुसार कलेक्शन की राशि नहीं देता उसको नान के अधिकारियों द्वारा इतना परेशान किया जाता है कि वह या तो राईस मिलिंग का व्यवसाय छोड़ देता है या फिर वह भी सिस्टम में जुड़कर पैसा देने लगता है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 07.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ